

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2  
संख्या-29/2017/एस-2-1458/दस-2017-88क(6)/2017  
लखनऊ :: दिनांक:: 27 जुलाई,2017

**कार्यालय-आदेश**

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, प्रश्नगत पद का अतिरिक्त प्रभार (बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के) एतदद्वारा प्रदान किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती  | पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है                       |
|----------|--|---|
| 1        | 2  | 3   |
| 1        | श्री ज्ञानपाल सिंह<br>वित्त नियंत्रक,<br>खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।                             | वित्त नियंत्रक,<br>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,<br>उ0प्र0 लखनऊ।  |
| 2        | श्री रमा शंकर शुक्ला,<br>संयुक्त निदेशक,<br>वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,<br>उ0प्र0 शासन। | निदेशक,<br>वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,<br>उ0प्र0 शासन। |

2- संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

**संख्या-29/2017/एस-2-1458(1)/दस-2017, तददिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद/वन विभाग, उ0प्र0शासन।
- 2- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 शासन।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 7- संबंधित अधिकारीगण।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।